न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 87 / 2022

1 रामजीलाल आयु 55 साल पुत्र श्री जमनाराम जाति जाट निवासी ककड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 विजेन्द्र सिंह उम्र 30 साल पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 सुनिल कुमार उम्र 32 साल पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 अनिता उम्र 34 साल पुत्री श्री श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 खजानी देवी उम्र 62 साल पत्नी श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी कंकड़ेऊ खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक।
6 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय
मलसीसर मुकदमा उनवानी रामजीलाल बनाम विजेन्द्रसिंह
आदि मु.नं. 126 / 2021, 207 / 2021 व 11 / 2017 निर्णय
व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2021, 207/2021 व 11/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 176, 55, 56 वाके ग्राम कंकडेऊ खुर्द का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने एक दावा बाबत विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दावा की आदेशिका पर मु.नं. 126/2021 दर्ज है प्राथमिक निर्णय में मु.नं. 11/2017 दर्ज है तथा प्राथमिक डिक्री में मु.नं. 207/2021 दर्ज है तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2022 को जारी की गयी है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2022 खिलाफ पत्रावली कानून व मौका के खिलाफ होने से कानूनन निरस्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 7.08 हैक्टेयर वाके ग्राम ककडेऊ खुर्द पटवार हल्का ककड़ेऊ कला के विभाजन के लिये दावा प्रस्तुत किया था जिसमें विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री मौके के खिलाफ जाकर पारित की है। उक्त दावा में प्रतिवादीगण से सहमति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

का जवाब प्रस्तुत किया गया उक्त दावा में खसरा नम्बर 176 की भूमि को काश्त की सुविधा के लिए ए व बी हिस्सा के रूप में बांट रखा है। ए हिस्से की भूमि जो अपीलार्थी काश्त करता है तथा बी हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 काश्त करते है व काबिज है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 176 की सीमा के सहारे सहारे मार्क सी. डी. ई रास्ता अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने छोड़ रखा है। नजरी नक्शा अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो अपील का भाग माना जावें। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने अपनी भूमि के रास्ता मार्क सी डी ई छोड़कर तारबन्दी कर रखी है तथा कुआ बनाकर भूमि को काश्त करते है अर्थात उक्त भूमि में चाह बनाकर सिंचाई करते है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 176 में डोटेड लाईन से रास्ता रहा है जबकि मौके पर रास्ता मार्क सी. डी. ई से है जहां खाता विभाजन का अनुतोष मांगा जाता है वहां 251 का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने डोटेड लाईन रास्ते को यथावत रखते हुये निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार जिन पक्षकारों के मध्य विभाजन होता है उनको रास्ता दिये जाने का प्रावधान है मौके पर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने सी. डी. ई. रास्ता छोड़ रखा है जिसका मातहत ने मार्क सी. डी. ई. रास्ते को रास्ता नहीं मानने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री गलत पारित की है उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री के मुताबिक अपीलार्थी के खेत में दो रास्ते बन रहे है जो अपीलार्थी की भूमि की उपयोगिता कम कर रहे है इसलिये उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय काबिले निरस्त है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 126/2011 में दिनांक 12.04.2022 को पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूलवाद संख्या 126/2021 दिनांक 08.02.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चूका है। आदिनांक तक इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही की जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2022 स्वत खारिज हो चुकी है एवं प्रस्तुत अपील भी प्रभावहीन हो चुकी है। फलतः अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है। मूलवाद पुनः नम्बर पर लेने की स्थिति में उभयपक्ष को सुनकर प्राथमिक डिक्री पुनः पारित की जावेगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)